मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमॉक / बी–15–18 / 2011 / 14–2 भोपाल, दिनॉक 23, मई 2015

प्रति,

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0 भोपाल।

विषय–खरीफ वर्ष 2015 हेतु बीज उपार्जन एवं विक्रय दर निर्धारण बाबत् ।

Fax to all RAKS
25/5/15

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 24 अप्रैल 2015 को सम्पन्न हुई प्रमाणित बीज उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान की दरों के संबंध में बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ 2015 हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

(इकाई रूपये प्रति क्विंटल)

क.	फसल का नाम	कृषकों के लिए उपार्जन दरें (बोनस सहित)	संस्था की सकल विक्रय दर तथा कृषकों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर	बीज वितरण अनुदान की दर जो सीधे कृषकों के खाते में जमा की जावेगी
1	2	3	4	5
1	सोयाबीन (समस्त)	4000 / –	5300 / –	600 / –
2	धान(सुगंधित)10वर्ष तक की अवधि	2400 / –	3700 / –	1000 / –
3	धान(सुगंधित) 10 वर्ष से अधिक अवधि	2400 / –	3700 / –	1000 / –
4	धान(मोटी)(सुगंधित किस्मों को छोड़कर)10वर्ष तक की अवधि	1600 / –	2870 / –	1000 / –
5	धान (मोटी) 10 वर्ष से अधिक अवधि	1600 / –	2870 / –	1000 /
6	धान(पतली)(सुगंधित किस्मों को छोड़कर) 10 वर्ष तक की अवधि	1700 / –	2975 / –	1000 / –
7	धान(पतली)(सुगंधित किस्मों को छोड़कर) 10 वर्ष से अधिक अवधि	1700 / –	2975 / –	1000 / –
8	मूँग(10 वर्ष तक की अवधि)	7500 / –	9500 / –	2500 / –
9	मूँग(10 वर्ष से अधिक अवधि)	7500 / –	9500 / –	2500 / –
10	उड़द(10 वर्ष तक की अवधि)	6000 / –	8000 / –	2500 / –
11	उड़द(10वर्ष से अधिकअवधि)	6000 / –	8000 / –	2500 / –
12	मक्का समस्त किस्में	1800 / –	3400 / –	1500 / –
13	मूँगफली (छिलका मुक्त)	5550 / –	7000 / –	निरंक
14	तिल समस्त किस्में	13000 /	15000 / –	निरंक
15	रामतिल समस्त किस्में	7270 / –	9000 / –	1200 / –
16	ज्वार(10 वर्ष तक की अवधि)	1900 / –	3500 / –	1500 / –
17	ज्वार(10 वर्ष से अधिक अवधि)	1900 / –	3500 / –	1500 / –
18	कोंदों समस्त किस्में	2500 / –	3000 / –	1500 / –
19.	कुटकी	2500 / –	3000 / –	1500 / –
20.	अरहर	7400 / –	8700 / –	2500 / –

नोट :–

तालिका के कालम क. 3 में दर्शाई गई दरों के अनुसार बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित किए गए प्रमाणित बीजों का भुगतान किया जाएगा। इसमें संस्था द्वारा दिए जाने वाले बोनस की राशि भी शामिल है।

(2) तालिका के कालम क.4 में दर्शाई गई विक्रय दर के अनुसार कृषकों को बीज का विक्रय किया जाएगा।

(3) तालिका के कॉलम क्रमांक–5 में दर्शाई गई अनुदान की दर के अनुसार बीज वितरण अनुदान का भुगतान उप संचालक कृषि द्वारा सीधे कृषकों के खाते में जमा कराकर किया जायेगा ।

(4) सोयाबीन की समस्त किस्मों के प्रमाणित–1 एवं प्रमाणित–2 के बीजों पर बीज वितरण अनुदान रू. 600/– प्रति क्विंटल देय होगा ।

(स) अन्य निर्देश :–

1. नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इन्द्राज कृषक की बही/ऋण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा।

2. संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज का वितरण का अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें नगद में स्वयं विक्रय कर सकेगी।

. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा बीज उठाते समय बीज उत्पादक संस्था के केंद्र अथवा विपणन संघ के डबल लाक केंद्र को रिलीज आर्डर एवं उसके साथ बीज मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (कमीशन की राशि घटाने के पश्चात) संलग्न कर देना होगा।

6. कृषि साख समितियों द्वारा उठाई जाने वाली (बीज निगम के केद्र अथवा विपणन संघ के डबल लाक) बीज मात्रा का शतप्रतिशत विक्रय करना होगा। समिति द्वारा प्राप्त किये गये बीज को बीज निगम द्वारा वापस नहीं लिया जायेगा । संस्थाओं द्वारा सहकारी समितियों को पूर्व से स्वीकृत कमीशन की राशि रूपये 80/–समिति सेवक को मानदेय प्रोत्साहन राशि रूपये 30/–एवं मार्कफेड को भंडारण की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 20/– इस प्रकार कुल राशि 130 रूपये प्रतिक्विंटल यथावत् रहेगा ।

7. मूँग के लिए निर्धारित की गई दरें ग्रीष्मकालीन मूँग में उपार्जित किए गए बीजों पर भी लागू होगी ।

8. संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज सेवा, सहकारी समितियों तथा संस्था के केन्द्रों से प्रदेश के कृषकों को बीज वितरण कराने पर ही बीज वितरण अनुदान की पात्रता होगी ।

9. प्रत्येक जिले में बीज की उपलब्धता एवं वितरण की केंद्रवार जानकारी संस्थाओं द्वारा उनके पोर्टल पर अंकित करने एवं इसे निरन्तर अपडेट व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग